8.4.25 पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी पेशकार राजस्व की रिपोर्ट प्राप्त है। पेशकार रिपोर्ट व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण शुद्धि का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण मे विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रा. केशव कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – सुरेन्द्र प्रसाद (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 65	26.06.2024	08.04.2025

उनवान

01. राहुल,
02. रितिक पुत्रान भुवनेश,
03. गायत्री देवी पत्नि भुवनेश जाति गुसाई निवासी ग्राम अलावडा तह0 रामगढ जिला अलवर

............................प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बावत।

निर्णय

प्रार्थी राहुल, रितिक पुत्रान भुवनेश व गायत्री देवी पत्नि भुवनेश जाति गुसाई निवासी ग्राम अलावडा तह0 रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 हाल 2486 रकबा 0.21 हे0 3699 रकबा 0.15 हे0 , 568 रकबा 0.43, 596 रकबा 0.44, 727 रकबा 0.24, 763 रकबा 0.69, 826 रकबा 0.32 हे0 जिसका खाता संख्या 206 है जो आराजी वाके ग्राम अलावडा तह0 रामगढ जिला अलवर में स्थित है जैसा कि प्रार्थना पत्र के साथ हाल/साबिक रिकार्ड जमाबन्दी संलग्न है। उक्त हाल खसरा नम्बर के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण का नाम

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

है जिसमें प्रार्थीगण की जाति जो कि गुसाई है जिसको खत्री दर्ज अमल किया हुआ जबकि प्रार्थीगण के साबिक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति गुसाई अंकित हो रही है लेकिन हाल राजस्व रिकोर्ड में सहवन राजस्व कर्मचारियों द्वारा गुसाई जाति दर्ज करने के बजाय खत्री जाति अंकित कर दी गयी है तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण की आराजीयात में खसरा नं0 568 रकबा 0.43 हे0 जिसके संवत 2058 का साबिक ख.न0 ख0 न0 487 है तथा सम्वत 2020 में हाल ख0न0 487 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व जिसका साबिक ख0न0 1418 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा है जिसके राजस्व रिकोर्ड नक्शा ट्रेस में सम्वत 2013 सन् 1957 में जो नक्शा ट्रेस कायम किया गया था वह सही नक्शा ट्रेस था और मौके के हिसाब से आज भी ऐसा ही कायम चला आ रहा है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नये राजस्व रिकोर्ड को बनाये जाते समय उक आराजी ख0न0 568 का नक्शा मौके से विपरित व साबिक रिकोर्ड के विपरित कर दिया गया है तथा खाता संख्या 206 में प्रार्थीगण की जाति गुसाई के स्थान पर खत्री अंकित कर नया राजस्व रिकोर्ड तैयार किया गया है। जिससे प्रार्थीगण को राजस्व रिकोर्ड में उक्त दोनो गलती से काफी परेशानी हो रही है। तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अपनी जाति को व खसरा नं0 568 के नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाना चाहते है और राजस्व रिकोर्ड में अपनी जाति खत्री के स्थान पर गुसाई अंकन करवाना चाहते व नक्शा ट्रेस दुरूस्त करवाना चाहते है और राजस्व रिकोर्ड में सही जाति व सही नक्शा ट्रेस दर्ज न होने के कारण से प्रार्थीगण को मानसिक व आर्थिक हानि होती है व भारी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। तथा जिस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार साहब रामगढ को उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु उपर से आदेश लाने के लिए कहा। जिस कारण से बिना देरी से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की जाति गुसाई है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण की जाति खत्री दर्ज करते हुये व ख0न0 568 के नक्शा ट्रेस को मौके से विपरीत दर्ज करते हुये सेटलमेंट तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच किये व रिकोर्ड का निरीक्षण किए बगैर राजस्व रिकार्ड तैयार किया है जिसमें अनेक त्रुटियों की है और प्रार्थीगण की जाति गुसाई के स्थान पर खत्री व इसी प्रकार ख0न0 568 का नक्शा ट्रेस साबिक रिकोर्ड से व मौके से विपरीत दर्ज अमल कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है और प्रार्थीगण को भारी मानसीक वेदना का सामना करना पड रहा है। सैटिलमेंट विभाग को कोई भी इन्द्राज दर्ज करते समय उसकी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिये थी लेकिन उन्होने बिना जांच किये ही प्रार्थीगण की जाति गुसाई के स्थान पर गलत जाति खत्री व ख0न0 568 का गलत नक्शा ट्रेस दर्ज कर दिया जिसका उन्हे ऐसा परिवर्तन करने क कोई अधिकार नही है जब तक ऐसा करने के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश ना हो जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के पास जाकर अपने राजस्व रिकोर्ड में अपनी जाति व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होने कहा कि पहले उपर सक्षम अदालत से आदेश लाओ तब दुरूस्ती इन्द्राज करेगें।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र दुरूस्ती पेश करना लाजिम हुआ है। अतः प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण की गलत जाति खत्री व ख0न0 568 के गलत नक्शा ट्रेस को कलमजन किया जाकर प्रार्थीगण की सही जाति गुसाई व ख0न0 568 का नक्शा ट्रेस साबिक रिकोर्डनुसार अंकित कर हाल राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है जमाबन्दी सम्वत 2029 में कांशीराम पुत्र बिसनदास गुसाई सा0 देह गैरखातेदार दर्ज है। नामान्तकरण सं0 190 खातेदारी में काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम खत्री गुसाई से काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम खत्री सा0 देह खातेदार गुसाई दर्ज रिकार्ड। खतोनी बन्दोबस्त सं0 2020 में काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम गुसाई सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी हाल रिकार्ड में साबिक रिकार्ड अनुसार जाति गुसाई का अनुतोष चाहता है। तथा ख0न0 568 की आकृति राजस्व नक्शा सं0 2058 के अनुसार कैडस्टलीट (ऑनलाईन नक्शा) में करवाना चाहता है। प्रकरण काबिज शुद्वि है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जमावन्दी सम्वत 2029 में कांशीराम पुत्र बिसनदास गुसाई सा0 देह गैरखातेदार दर्ज है। नामान्तकरण सं0 190 खातेदारी में काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम खत्री गुसाई से काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम खत्री सा0 देह खातेदार गुसाई दर्ज रिकार्ड। खतोनी बन्दोबस्त सं0 2020 में काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम गुसाई सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी हाल रिकार्ड में साबिक रिकार्ड अनुसार जाति गुसाई का अनुतोष चाहता है। तथा ख0न0 568 की आकृति राजस्व नक्शा सं0 2058 के अनुसार कैडस्टलीट (ऑनलाईन नक्शा) में करवाना चाहता है। प्रकरण काबिज शुद्वि उचित प्रतित होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2029 में कांशीराम पुत्र बिसनदास गुसाई सा0 देह गैरखातेदार दर्ज है। नामान्तकरण सं0 190 खातेदारी में काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम खत्री गुसाई से काशीलाल पुत्र विशनदास कौम खत्री सा0 देह खातेदार गुसाई दर्ज रिकार्ड। खतोनी बन्दोबस्त सं0 2020 में काशीलाल पुत्र बिशनदास कौम गुसाई सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी हाल रिकार्ड में साबिक रिकार्ड अनुसार जाति गुसाई का अनुतोष चाहता है। तथा ख0न0 568 की आकृति राजस्व नक्शा सं0 2058 के अनुसार कैडस्टलीट (ऑनलाईन नक्शा) में करवाना चाहता है। प्रकरण काबिज शुद्वि प्रतित होता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

ल रिकार्ड में साबिक रिकार्ड अनुसार जाति गुसाई तथा ख0न0 568 की आकृति स्त नक्शा सं0 2058 के अनुसार कैडस्टलीट (ऑनलाईन नक्शा) दुरूस्त किया जावे। क्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी

रामगढ अलवर